(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मंडल आयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 मे दिये गये अपने निर्णय के समय से ही संविधान के अन्तर्गत स्थापित सचिवालय के अन्तर्गत स्थापित सचिवालय में सचिव के स्तर तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण के प्रावधान को क्रियान्वित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्तियों को सचिव स्तर तक पदोन्नत किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री : श्री सीता राम केसरी) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है । और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अब तक समूह "क" के निम्नतम स्तर की सेवाओ में जोकि सचिवालय स्तर में तैनाती भारत सरकार के अवर सचिव के समतुल्य हैं तक पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिये आरक्षण है । पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण नहीं है तथापि, पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय मे इस निर्णय की तारीख दिनाक 16-11-92 से केवल पांच वर्ष की अवधि तक अनुमति दी है । सरकार यह जांच कर रही है कि उपर्युक्त 5 वर्ष की अवधि से आगे पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की नीति को किस प्रकार सुरक्षा की जाये ।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Supreme Court Direction Regarding Reservation Quota

666. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court of India has issued any directions recently restraining Karnataka Government from exceeding 50 per cent reservation quota in the engineering, medical and dental colleges;

(b) if so, the reaction of the Government in the matter;

(c) the steps taken/proposed to be taken by Government to bring in constitutional amendment to makes reservation quota uniform throughout the country; and

(d) by when Government propose to bring forward such legislation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The Supreme Court has stayed the operation of the Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Reservation of seats in educational institutions and of appointments or posts in the services under the State) Act 1994 providing overall reservation at 73 per cent for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) The Supreme Court order pertains to the enactment made by the State Government of Karnataka. Since the Supreme Court order pertains to the enactment made by hte State Government of Karnataka and the matter is sill subjudice no action is deemed necessary at this stage.

(c) Since the Constitutional responsibilities for providing reservation rests both with the Central Government and State Governments, it is not possible to have any uniform reservation quota throughout the country

(d) Does not arise.